बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संоसं0–9/आ0–03–10/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..

विभागीय निदेश के अनुपालन में विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा दिनांक–13.12.2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजापाकड़, एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चकसिकन्दर, वैशाली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में डॉ० जितेन्द्र मोहन पासवान, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजापाकड, वैशाली अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

2. डॉ० पासवान के विरूद्ध औचक निरीक्षण के क्रम में अपने कर्त्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में आरोप गठित कर विभागीय ज्ञापन सं०–938(9) दिनांक–30.09.2024 द्वारा गठित बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में डॉ० पासवान द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित कर अवगत कराया गया कि दिनांक–12.12.2023 से उनका तबीयत खराब था।

3. समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। जिसमें पाया गया कि डॉ० पासवान के बचाव का लिखित अभिकथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योकि यदि आकस्मिक स्थिति थी, तो इसकी सूचना दूरभाष पर सिविल सर्जन कार्यालय या अपने संस्थान को देना चाहिए था, परन्तु उनके सूचना द्वारा नहीं दिया गया। स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि डॉ० पासवान अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते थे। लेकिन औचक निरीक्षण के क्रम में पकड़े जाने पर बीमारी का हवाला दे रहे है। अतएव स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए डॉ० पासवान के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं०–938(9) दिनांक–30.09.2024 द्वारा लगाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(1) के अधीन निन्दन एवं नियम–14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

4. अतएव डॉ० जितेन्द्र मोहन पासवान, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजापाकड़, वैशाली के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं०–938(9) दिनांक–30.09.2024 द्वारा लगाये गये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(1) के अधीन निन्दन एवं नियम–14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–03–10/2024(स्वा0) 644(9) /पटना, दिनांकः–13.6.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/06/2025

(15)

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० जितेन्द्र मोहन पासवान, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजापाकड, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

09/06/2025

सरकार के अवर सचिव।